



उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड

'वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया हो अथवा उत्कृष्ट ख्याति अर्जित की हो, अथवा उनके कर्म को उच्च कोटि की मान्यता मिली हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य की संस्कृति को जीवित रखने का कार्य कर रहे हो तथा जिनकी आयु 60 (साठ) वर्ष से कम न हो तथा मासिक आय ₹ 3000 (₹ तीन हजार) से अधिक न हो तथा उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी हों ऐसे कलाकार/लेखक अपना आवेदन निम्न प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरकर निदेशक, संस्कृति निदेशालय, एम.डी.डी.ए.कालोनी चन्द्र रोड, डालनवाला, देहरादून को दिनांक 16 अगस्त, 2018 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम.....
2. प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम.....
3. प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूता पता.....

4. स्थाई पता.....

5. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उत्तराखण्ड का निवासी है.....
6. आयु तथा जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न किये जायें)
7. प्रार्थी/प्रार्थिनी की नियमित आय.....
 (क) आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक पूर्वता.....
 वित्तीय वर्ष के दौरान आय (वार्षिक आय)
 (ख) वर्तमान आय (मासिक).....
 (ग) **उपरोक्त आय स्त्रोतों का पूर्ण विवरण**.....
 (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

पासपोर्ट साइज
फोटो चस्पा करें

8 परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या, उनका सम्बन्ध, आय उपजीविका और आय के श्रोत, आदि कोई हो।

क्र.सं.	नाम	उम्र	सम्बन्ध	पेशा	आय के श्रोत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

9 ऐसी स्थाई सम्पति जिसका स्वामित्व प्रार्थी के स्वयं या पत्नी/पति या बच्चों के नाम हो उसकी अवस्थित भूमि का क्षेत्रफल तथा मूल्य।

10 किसी विद्या के कलाकार/साहित्यकार हैं?

11 क्या आवेदक को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अकादमी/संस्था से कोई वित्तीय सहायता मिली है? यदि हाँ तो उसकी राशि और वर्ष

12 सरकार या किसी प्रमुख कला सोसायटी संस्था से प्राप्त मान्यता का विवरण

13 उपलब्धियों का विवरण:-

(क)- शैक्षिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा).....

(ख)- प्राविधिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा).....

(ग)- पुस्तकों/सृजनात्मक लेख आदि के प्रकाशनों की संख्या व विवरण.....

(घ)- आकाशवाणी व दूरदर्शन से किये महत्वपूर्ण प्रसारणों का विवरण.....

(ङ)- अन्य उपलब्धियों का विवरण:-

14. संगीत/नृत्य/नाटक/साहित्य के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा पते जो प्रार्थी की उपलब्धियों से परिचित हो।

1.

2.

3.

4.

15. क्या आप अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के व्यक्ति हैं? यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र लगायें।

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है, यदि कोई विवरण गलत हाँ तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दें, और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गई हैं वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

दिनांक.....

प्रार्थी/प्राधिनी के हस्ताक्षर

टिप्पणी— निम्न प्रमाण पत्र अवश्य लगायें, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जाना। सम्भव होगा।

क— कलाकार/साहित्यकार होना सिद्ध करने वाले प्रमाण—पत्र।

ख— हाई स्कूल प्रमाण—पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण—पत्र।

ग— तहसीलदार/परगना मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण—पत्र।

घ— जिला प्रशासन की संस्तुति।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।